SHODH SAMAGAM

ISSN : 2581-6918 (Online), 2582-1792 (PRINT)

xzkeh.k {ks=ksa esa euijsxk ;kstuk ds çcaèku ,oa dk;ksZ dh fLFkfr ¼dksjck ftys ds lanHkZ esa½

vklek flag flnkj] शोधार्थी, वाणिज्य विभाग
शासकीय आदर्श महाविद्यालय, कोरबा, छत्तीसगढ़, भारत
ikfi;k prqosZnh] (Ph.D.) शोध निर्देशिका, वाणिज्य विभाग
शासकीय मिनीमाता कन्या महाविद्यालय, कोरबा, छत्तीसगढ़, भारत

ORIGINAL ARTICLE

Corresponding Authors
vklek flag flnkj] शोधार्थी, वाणिज्य विभाग
शासकीय आदर्श महाविद्यालय, कोरबा, छत्तीसगढ़, भारत
ikfi;k prqosZnh] (Ph.D.) शोध निर्देशिका,
वाणिज्य विभाग, शासकीय मिनीमाता कन्या महाविद्यालय,
कोरबा, छत्तीसगढ़, भारत

shodhsamagam1@gmail.com

Received on : 06/03/2023
Revised on : -----
Accepted on : 13/03/2023
Plagiarism : 06% on 06/03/2023

Plagiarism Checker X - Report
Originality Assessment
Overall Similarity: 4%
Date: Mar 6, 2023
Statistics: 115 words Plagiarized / 3246 Total words
Remarks: Low similarity detected, check with your supervisor if changes are required.

'kks/k lkj

भारत के विकासशील देश में गरीबी तथा भुखमरी से उभरने के लिए अनेक रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण विकास को केन्द्र में रखकर सीमित अवधि के लिए अकुशल शारीरिक श्रम करने के लिए उपलब्ध कराया जाता है। संकट के समय पर रोजगार कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होते हैं। इन कार्यक्रमो से व्यक्तिगत एवं सामुदायिक स्थायी संपत्तियो में वृद्धि होने से दूसरे चक्र के रोजगारो का भी सृजन हो रहा है। इन कार्यक्रमो में मनरेगा प्रमुख स्थान रखती है। इसका प्राथमिक लक्ष्य ग्रामीणों की आजीविका को सुरक्षित कर अतिरिक्त आय के अवसरो में वृद्धि करना है। मनरेगा से लाखों लोगो को प्रतिवर्ष रोजगार मिलता हैं। प्रस्तुत शोध के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा विकासखंड में मनरेगा योजना के लाभार्थियो की स्थिती मे आए बदलाव को उजागर करने का प्रयास किया गया हैं। मनरेगा योजना के तहत कार्य करने वाले श्रमिकों के आर्थिक स्थिती में सुधार लाने के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवारों को जो शारीरिक श्रम करने के लिए तैयार है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिवस का गारंटीशुदा रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। यह योजना रोजगार गारंटी के साथ–साथ श्रमिको के आर्थिक स्थिति को बढ़ाने के लिए, गांव से शहरो की ओर होने वाले पलायन पर अंकुश लगाने और सामाजिक समानता तथा आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में सहायता प्रदान करता है।

e|[; 'kCn

euj\xk] Jfed] xkeh.k {k=] jkstxkj dk;Øe] fodkl'khy n'k] xjhch mUewyu-

---

euj\xk ;kstuk dk ifjp;

भारत एक कृषि प्रधान एवं ग्रामीण बाहुल्य राष्ट्र है, 2021 के एक रिपोर्ट के अनुसार भारत देश की कुल जनसंख्या 1,40,42,34,872 करोड़ है जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रहे कुल परिवारों का मुख्य व्यवसाय समान्यता कृषि है, जोकि पूर्ण रूप से मानसून पर निर्भर है, जोकि अनिश्चित है। मानसून के कारण अल्प वर्षा व अति वर्षा की स्थिति निर्मित रहती है जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे परिवारों को रोजगार का कोई अन्य साधन सुविधाजनक उपलब्ध ना होने के कारण बेरोजगारी व्यापक हो जाती है। इससे हमारे देश में बेरोजगारी व गरीबी एवं जनसंख्या वृद्धि जैसे समस्या को जन्म देती है तथा वह एक भयानक रूप ले चुकी है। जिस अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, उस अनुपात में कृषि एवं कृषि पर निर्भर कार्यों का अभाव है, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तियों को पारिवारिक रोजगार उपलब्ध करा पाना संभव नहीं है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों मे निवासरत परिवार को रोजगार उपलब्ध न होने के कारण ग्रामवासी शहरों की ओर पलायन करने लगे हैं।

गांव से शहरों की ओर पलायन पर रोक लगाने व निवास स्थल पर रोजगार उपलब्ध कराने के लिए तथा ग्रामीण परिवार के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए तथा महिला एवं पुरुष श्रमिकों की आय में सुधार लाने के लिए के लिए केंद्र सरकार द्वारा 5 दिसंबर 2005 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम पारित किया गया था। जिसके अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में ग्रामीण परिवारों को 150 दिन के रोजगार की गारंटी दी जाती है और यह पहली ऐसी योजना जिसमें गारंटी युक्त रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। अप्रैल 2008 से यह कानूनी तौर पर भारत के सभी ग्रामों में लागू किए गए हैं।

lkfgR; dh leh{kk

अमरजीत सिन्हा ने अपने लेख आजीविका के माध्यम से बदलता ग्रामीण जीवन में बताया कि जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था में गति आती है तो गरीबी का उन्नमूलन होता है। ग्रामीण क्षेत्रों के सार्वगीण विकास हेतु सभी विभागों तथा राज्य सरकारो द्वारा 3–4 लाख करोड़ सलाना खर्च किया जाता है। मनरेगा के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों को आजीविका के साधन के रूप में देखा जा रहा है। मनरेगा ने 230 करोड़ दिन के बराबर रोजगार के अवसर पैदा किए जो संशोधित श्रम बजट से अधिक है। वर्ष 2016–17 में महिलाओ की हिस्सेदारी 56 प्रतिशत से अधिक रही है। इसी वर्ष पानी से सम्बधित 15.47 लाख काम पूरे हुए जिसमे से 5.66 लाख कृषि तालाब है। वर्तमान में योजना मे अकुशल श्रमिकों को कौशल विकास का प्रशिक्षण दिया जाने लगा है।

सती कुमार सुमन ने अपने शोध पत्र में बताया कि मनरेगा कार्यक्रम के फलस्वरूप गांव में ही रोजगार के अवसर मिलने से मजदूरो का दूसरे राज्यों में पलायन में कमी आयी है। मनरेगा कार्यक्रम के प्रति अधिकतर लोगों में जागरूकता की कमी है। कई सीमाओं के बावजूद मनरेगा कार्यक्रम से निर्धन जनसंख्या को लाभ सहित पहले की अपेक्षा आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है।

'kks/k dk;Z ds mís';

प्रस्तुत शोध अध्ययन के निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए है:

1. मनरेगा योजना के प्रबंधन एवं कार्यो का अध्ययन करना।
2. निर्धनता उन्मूलन में मनेरगा की उपलब्धियों का आंकलन करना।

ifjdYiuk,¡

1. मनरेगा से लाभार्थियों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है।
2. मनरेगा से ग्रामीण बेरोजगारी में कमी आयी है।

eujxk çcaèku

संक्षेप में प्रभावी क्रियान्वयन का आशय यह है कि अधिनियम की योजना के अनुरूप रोजगारों की मांग को पूरा किया जाए, मजदूरों के परिश्रमिक का समय पर भुगतान किया जाए, एवं कार्यो के नियोजन तथा नियंत्रण में किसी तरह की चूक ना हो जाए।

fØ;kUo;u ds ewy fl)kar

1. ijLij lgHkkfxrk vkSj lkoZtfud nkf;Ro% इस अधिनियम में केंद्र सरकार, राज्य सरकारों, पंचायतों और स्थानीय समुदाय की बीच पारस्परिक सहभागिता की कल्पना की गई। खासतौर पर कहा जाए जाए तो इस कानून के तहत क्रियान्वयन संबंधी मुख्य गतिविधियां गांव और ब्लॉक के स्तर पर संपन्न होगी। योजना के नियोजन देख–रेख और निगरानी का कार्य सभी स्तरों (ग्राम, ब्लाक, जिला और राज्य) पर समांनातर रूप से चलेगा प्रत्येक स्तर के संबंधित अधिकारी/निकाय जन समुदाय के प्रति उत्तरदायी होंगे।
2. lkeqnkf;d lgHkkfxrk% समुदाय की सहभागिता सुनिश्चित करने का दायित्व संस्थागत स्तर पर वैधानिक रूप से ग्राम सभा को सौंपा गया है लेकिन सामुदायिक सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए अन्य पद्धतियों का भी सहारा लिया जा सकता है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए स्थानीय चौकसी एवं निगरानी समितियों, श्रमिक संगठनों, स्थानीय लाभान्वित समितियों स्वयं सहायता समूह तथा अन्य स्थानीय संगठनों का भी गठन किया जा सकता है। पारदर्शिता और सार्वजनिक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय समुदाय की सक्रिय सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
3. iapk;rksa dh Hkwfedk% प्रत्येक स्तर पर मौजूद पंचायत अधिनियम के अंतर्गत योजनाओं के नियोजन एवं क्रियान्वयन करते करने वाला प्रधान निकाय होगी। एनआरईजीए, अनुच्छेद 13 VI जहां संविधान का भाग 9 लागू नहीं होता, वहां यह जिम्मेदारियां संबंधित राज्य सरकार द्वारा नियुक्त स्थानीय परिषदों को सौंपी जाएगी।
4. विभिन्न एजेंसियो की बीच समन्वय।

eq[; fudk; rFkk mudh Hkwfedk,¡

आर.ई.जी.एस. के क्रियान्वयन से संबंधित प्रमुख निकायों और उनकी भूमिकाओं का उल्लेख नीचे किया गया है, इन निकायों की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का विस्तृत वितरण किया गया है। विभिन्न स्तरों की प्रबंधन संबंधी जिम्मेदारियों का उल्लेख भी किया गया है:

1. ग्राम स्तर (जीएस) ग्राम सभा इस अधिनियम में आर.ई.जी.एस. के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों का चुनाव करने, उन पर निगरानी और नजर रखने तथा क्रियान्वयन के बाद सामाजिक आडिट संचालित करने का अधिकार ग्राम सभा को किया गया है, साथ ही यह भी प्रावधान है कि ग्राम सभा का योजना के क्रियान्वयन में पूर्व सहयोग एवं सहभागिता लिया जाए। ग्राम सभा को एक ऐसे मंच के रूप में प्रयोग किया जाना चाहिए जहां योजना के बारे में सूचनाओं का आदान प्रदान किया जा सके। उदाहरण के तौर पर ग्रामसभा के माध्यम से लोगों को जानकारियां दी जा सकती है, कि वह इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण के लिए किस प्रकार आवेदन कर सकेंगे।
2. ग्राम पंचायत (जीपी) आर.ई.जी.एस. के क्रियान्वयन में ग्राम पंचायत की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। कार्यो की योजना बनाने, परिवारों का पंजीकरण करने, रोजगार कार्ड जारी करने, रोजगार कम से कम 50 प्रतिशत कार्यो को लागू करने और परियोजना के क्रियान्वयन पर नजर रखने का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायत को ही सौंपा गया है। एन.आर.ई.जी.ए. के क्रियान्वयन से ग्राम पंचायत की जिम्मेदारियों में उल्लेखनीय वृद्धि हो गई। इसका मतलब यह है कि पंचायत कार्यों के बारे में योजना बनाने और उन्हें लागू करने के अलावा एन.आर. ई.जी.ए के तहत परिवारों का पंजीकरण करने, जॉब कार्ड जारी करने काम के लिए आवेदन स्वीकार करने, रिकॉर्ड रखने, रोजगार आबंटित करने जैसे दायित्वों का भी निर्वहन करना होगा।

Cy,d Lrj ij

1. माध्यमिक पंचायत आईपी ब्लॉक स्तर पर योजना की रूप रेखा तैयार करने और क्रियान्वयन के दौरान इस पर नजर रखने का दायित्व माध्यमिक पंचायत को सौंपा गया। माध्यमिक पंचायत को उन 50 प्रतिशत कार्यों में से क्रियान्वयन की जिम्मेदारी भी सौंपी जा सकती हैं जिन्हें ग्राम पंचायत के जरिए नहीं किया जा सकता है।
2. कार्यक्रम अधिकारी पीओ कार्यक्रम अधिकारी ब्लॉक स्तरीय अधिकारी होगा और उसे इस स्तर पर योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक सहायक कर्मचारी उपलब्ध होंगे। कार्यक्रम अधिकारी का पद कम से कम ब्लॉक विकास अधिकारी (बीडिओ) के स्तर का होगा। कार्यक्रम अधिकारी एक पूर्णकालिक अधिकारी होगा और उसे या तो विभागीय कर्मचारियों में से अथवा किसी अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति के आधार पर चुना जा सकता है। इस पद के लिए अनुबंध के आधार पर नई पदस्थापना भी की जा सकती है। कार्यक्रम अधिकारी बुनियादी रूप से जिला स्तर पर आरईजीएस के लिए एक समन्वयक के रूप में कार्य करेगा। उसके दायित्व में शामिल होंगे ग्राम स्तरीय योजनाओं की जांच करना, ब्लॉक स्तर पर रोजगार की मांग और रोजगार अवसरों की समस्याओं का मार्गदर्शन, काम करने वाले श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करना, ग्राम सभा के जरिए सामाजिक आडिट संपन्न कराना।

ftyk Lrj

1. जिला पंचायते जिला स्तरीय योजनाओं का अनुमोदन करने और जिले के स्तर पर रोजगार गांरटी योजना की निगरानी तथा मार्गदर्शन के लिये उत्तरदायी होगें।
2. जिला कार्यक्रम समन्वयक डीपी डीसीपी राज्य सरकार प्रत्येक जिले के लिए एक जिला कार्यक्रम समन्वयक की नियुक्ति करेगी। यह अधिकारी या तो जिला पंचायत का मुख्य कार्यक्रम अधिकारी होगा या जिला कलेक्टर व जिला स्तरीय कोई अन्य अधिकारी हो सकता है। पूरे जिले में योजना के समन्वयक और क्रियान्वयन की जिम्मेदारी डीपीसी के ऊपर होगी।
3. क्रियान्वयन निकाय पंचायतों के अतिरिक्त संबंधित विभागों, ऑनलाइन डिपार्टमेंट, स्वैच्छिक संगठन, एनजीओ केंद्रीय एवं राज्य स्तरीय सार्वजनिक उपक्रमों तथा स्वयं सहायता संगठनों को भी 93 निकायों के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। जिम्मेदारियों का बंटवारा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार आवश्यक आर्थिक एवं प्रशासकीय शक्तियां जिला कार्यक्रम समन्वयक तथा कार्यक्रम अधिकारी को सौंपेंगे।

jkT; Lrj

1. राज्य रोजगार गारंटी परिषद् (एसईजीसी) तहत अनुच्छेद 12 में निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक राज्य सरकार एक राज्य रोजगार गारंटी परिषद् संक्षेप में राज्य परिषद का गठन करेगी। एसईजीसी राज्य सरकार को योजना के क्रियान्वयन में सलाह देगी और उसके मूल्यांकन तथा निगरानी का कार्य करेगी। राज्य परिषद् के अन्य उदाहरण के तौर पर आदेश के अंतर्गत होने वाले कार्यों की प्रथा को निर्धारण करना और अधिनियम की अनुसूची एक अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को प्रेषित किए जाने वाले कार्य प्रस्तावित करना भी हो सकता है। राज्य परिषद् रोजगार गारंटी के बारे में वार्षिक रिपोर्ट तैयार करेगी जिसे विधायिका के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
2. राज्य सरकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप आरईजीएस की रूपरेखा तैयार करेगीं और उसके क्रियान्वयन से संबंधित नियम तय करेगी। राज्य सरकार एसईजीसी का गठन करेगी और योजना के लिए संसाधनों का निरंतर प्रवाह सुनिश्चित करने हेतु राज्य रोजगार गारंटी निधि की स्थापना कर सकती हैं।
3. रोजगार गारंटी आयुक्तः राज्य सरकार को आयुक्त या इससे उच्चतर पद के किसी अधिकारी को राज्य ग्रामीण रोजगार गांरटी आयुक्त नियुक्त करना होगा।

dæh; Lrj

1. केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद सीजीसी केंद्र सरकार की ओर से केंद्रीय रोजगार गारंटी परिषद संक्षेप में केद्रिय परिषद् का गठन किया जायेगा। यह केद्रिय परिषद् एनआरईजीए से संबंधित मामलों में केंद्र सरकार को परामर्श देगी।
2. ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार एनआरईजीए के क्रियान्वयन के विषय में नोडल मंत्रालय होगा, उसे केन्द्रीय परिषद का गठन करना होगा।

eujxk d dk;

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी रोजगार गारंटी प्रदान करना है। इस अधिनियम में उन कार्यों का भी वर्णन किया गया है जो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए चलाए जाते हैं। ये कार्य निम्नलिखित हैः

1. वनीकरण, वृक्षारोपण और सूखे की रोकथाम से संबधित कार्य,
2. जल संरक्षण एवं जल संग्रहण,
3. भूमि विकास,
4. सिंचाई नहरें, सूक्ष्म एवं लघु सिंचाई कार्य,
5. सिंचाई सुविधा, बागवानी, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबद्ध परिवारों के स्वामित्व वाली भूमि का भू–विकास, इंदिरा आवास योजना के तहत लाभार्थियों की भूमि का भू–विकास, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों की भूमि का भू–विकास।
6. पारम्परिक जल निकायों का नवीनीकरण, टैंको/तालाबों की साफ सफाई का कार्य,
7. बाढ़ नियंत्रण और सुरक्षा कार्य,
8. जल भराव वाले इलाके मे जल निकासी कार्य,
9. हर मौसम में ग्रामीण संपर्क बनाए रखने वाले कार्य,
10. सड़क निर्माण जहां आवश्यक हो वहां पुलिया का निर्माण,
11. गांवों के भीतर जल निकासी हेतु नालियां बनाना,
12. अन्य वे सभी कार्य जिन्हें केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार से सलाह के बाद अधिसूचित किया हो।

vuqlèkku çfofèk

शोध कार्य करते समय अनुसन्धानकर्ता को क्षेत्र का चुनाव करना अनिवार्य है। कोरबा विकासखंड के देवरमल, बरीडिह व कटवितला ग्राम पंचायत का चयन किया गया है। इस चयनित क्षेत्र के आधार पर शोधकर्ता के द्वारा 100 प्रतिदर्श का चयन किया है, जिससे आर्थिक स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव की जानकारी का संग्रहण कार्य किया गया है और इसके लिए प्राथमिक स्त्रोत के रूप में अनुसुची विधि का उपयोग कर यह पता लगाया गया है कि मनरेगा योजना से प्राप्त रोजगार से बेरोजगारी दूर होने के साथ–साथ आर्थिक स्तर पर भी प्रभाव पड़ रहा है।

vkfFkZd Lrj ij iM+us okys çHkko dk vè;;u

किसी भी क्षेत्र की आर्थिक स्तर का पता वहां निवास करने वाले ग्रामीणों के विकास से लगाया जाता है। उस क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों के पास शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधा, स्त्रियों के जीवन स्तर में सुधार, बचत की प्रवृत्ति इत्यादि में वृद्धि हो रही है तो यह समझा जाता है कि आर्थिक स्थिति के स्तर में वृद्धि हो रही है। वर्तमान में मनरेगा योजना ने ग्रामीण परिवारों को रोजगार देकर आर्थिक स्तर बढ़ाने का प्रयास किया गया है ताकि गांव का प्रत्येक नागरिक विकास की मुख्यधारा से जुड़ सकें क्योंकि रोजगार एक ऐसा माध्यम है जो हर किसी की जिंदगी को बदल देता है, और मनरेगा योजना ने भी रोजगार उपलब्ध करवाकर ग्रामीणों के आर्थिक स्तर को प्रभावित किया है। इस

प्रकार आज गांव का प्रत्येक नागरिक अपने मूलभूत सुविधाओं को पूरा करने में सक्षम है, वह अपने परिवार को अच्छी शिक्षा व मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में समर्थ है। इससे ना केवल उस क्षेत्र के विकास को बल मिलता है, बल्कि उस शहर, राज्य व देश की प्रगति की रफ्तार भी तेजी से बढ़ती है। हमने अपने अध्ययन विषय के अंतर्गत जिला कोरबा के 3 ग्राम पंचायत देवरमल, कठबितला व गोढ़ी का वास्तविक रूप से अवलोकन करने के दौरान पाया कि यह योजना ग्रामीणों के लिए पर्याप्त रूप से सार्थक सिद्ध हुई है, जो कि तालिका से स्पष्ट है:

कोरबा जिले के ग्राम पंचायतो में आर्थिक स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव की गणना

प्र.स.	विवरण		पुरूष	प्रतिशत	महिला	प्रतिशत	कुल प्रतिशत
1	आय के स्तर में वृद्धि हो रही है?	हाँ	28	56	29	58	57
		नही	22	44	21	42	43
		कुल	50	100	50	100	100
2	क्या आपको रोजगार की मांग करनी पड़ती है?	हाँ	48	96	46	92	94
		नही	02	04	04	08	06
		कुल	50	100	50	100	100
3	आर्थिक स्तर में सुधार होने से क्या आप बचत कर पाते है?	हाँ	38	76	35	70	73
		नही	12	24	15	30	27
		कुल	50	100	50	100	100
4	क्या आपको बेरोजगारी भत्ता मिलता है?	हाँ	40	80	38	76	78
		नही	10	20	12	24	22
		कुल	50	10	50	100	100
5	साहूकर से ऋण लेते है?	हाँ	30	60	29	58	59
		नही	20	40	21	42	41
		कुल	50	100	50	100	100
6	स्त्रियो के जीवन स्तर में सुधार हुआ है?	हाँ	35	70	38	76	73
		नही	15	30	12	24	27
		कुल	50	100	50	100	100

(स्त्रोतः प्राथमिक समंक)

ग्राम पंचायत देवरमल, गोढ़ी, कटबितला में आर्थिक स्तर पर पड़ने वाले प्रभाव की गणना

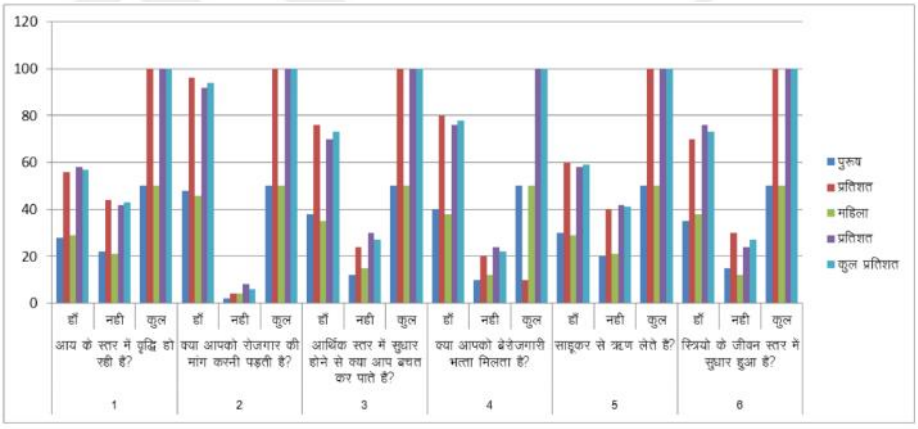

उपर्युक्त तालिका के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि ग्राम पंचायत देवरमल, गोढ़ी, कटबितला में ग्रामीणों को मनरेगा में रोजगार मिलने के बाद आर्थिक स्तर में सुधार हुआ है। कुल 100 प्रतिदर्श चयन में से 57 प्रतिशत

ग्रामीणों ने कहा है कि आर्थिक स्तर में काफी सुधार आया है, जबकि 43 प्रतिशत ने कहा है कि आर्थिक स्तर पूर्व की तरह ही है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों ने कहा कि उनके बचत करने की प्रवृत्ति में वृद्धि हो रही है। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को रोजगार की मांग नहीं करनी पड़ती है तथा आज ग्रामीणों के पास भौतिक सुख–सुविधाओं, पक्का मकान, बिजली, पानी की सुविधा वाह साहूकार से ऋण लेने में कमी आई है। इस प्रकार मनरेगा योजना के लागू होने के बाद उनके आर्थिक स्तर पर पहले से काफी सुधार हुआ है, अतः शोध परिकल्पना भी सार्थक सिद्ध हो रही है।

leL;k,a

1. शिक्षा का अभाव ग्रामीणों में अधिक पाया गया।
2. बायोमेट्रिक मशीन से हाजिरी की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण गलत व्यक्ति योजना का फायदा उठा रहे हैं।
3. गांव में बैंक सुविधा ना होने के कारण महिलाओं को राशि आहरित करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है।
4. मास्टररोल में फर्जी नाम दर्ज होने से गलत व्यक्ति के खाते में मजदूरी की राशि जमा हो जाती है, जिसके कारण वास्तविक लाभार्थी गरीब रहता है।
5. कार्यालय पर शौचालय, शिशु गृह की सुविधा का अभाव पाया गया है।

lq>ko

1. वित्तीय अनियमितताओं पर रोक लगानी चाहिए।
2. मास्टररोल में होने वाली गड़बड़ी को रोकना चाहिए।
3. बायोमेट्रिक से हाजिरी की व्यवस्था सरकार को करने पर ध्यान देना चाहिए।
4. मशीनों के उपयोग पर रोक लगाना।
6. महिलाओं के लिए कार्य स्थल पर शौचालय, शिशु गृह व शेड की सुविधा की व्यवस्था करना।
7. मजदूरी की राशि को बढ़ाया जाना।
8. ठेकेदारों की भागीदारी को कम करना।
9. फर्जी हस्ताक्षर व फर्जी नाम दर्ज करने पर रोक लगाना।

fu"d"kZ

ग्रामीण विकास की विचारधारा पर लागू मनरेगा योजना ने ग्रामों के विकास के लिए काफी अच्छा कार्य किया है। योजना के माध्यम से ना केवल ग्रामीणों को रोजगार प्राप्त हुआ है, बल्कि रोजगार मिलने के बाद ग्रामों से शहरों की ओर पलायान में कमी आई हैं। ग्रामीणों के आर्थिक स्तर में काफी बदलाव आया है। आर्थिक स्तर में सुधार आने के कारण ग्रामीण बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य की सुविधा देने में समर्थ है और इसके साथ भौतिक सुख–सुविधाओं में भी वृद्धि हो रही है। इन सभी बिंदुओं के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि मनरेगा योजना ने ग्रामीण परिवारों को रोजगार देकर गरीबी को दूर करने का प्रयास किया है एवं वास्तविक स्थिति में देवरमल, कटबितला व गोढ़ी ग्राम पंचायत के ग्रामीण परिवार पहले से ज्यादा संतुष्ट है।

lanHkZ lwph

1. Kumar Dhrmendra, Pal Chandra (2018) मनरेगा योजना प्रभावो एंव उपलब्धियो का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन, *Online Journal of Multidisciplinary subject* (ISN: 2349& 266X)
2. मंजू सोनगरा ''ग्रामीण गरीबी को दूर करने में' (जोधपुर जिले के लूणी ब्लाक की तीन ग्राम पंचायतो`के

संदर्भ में) *International Research Journal fo management Sociology & Humanities*, ISSN 2277-9809 (Online) Dept. of Busines Fiance and Economics.

3. सुमन सती कुमार (2014) मनरेगा कार्यक्रम और जातीय पृष्ठभूमि एक समाजशास्त्रीय अध्ययन राधाकमल मुखर्जी, *चिंतन परम्परा,* अंक 16 (1) प्रकाशन, जनवरी–जून 2014 पृष्ठ 111–115.
4. सिन्हा अमरजीत आजीविका के माध्यम से बदलता ग्रामीण जीवन, *कुरूक्षेत्र,* प्रकाशन विभाग भारत सरकार अंक – मई 2017 पृष्ठ 0.5.
5. ग्रामीण एवं पंचायत विकास विभाग–2009.

****